मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 392/2018 वाद

शांतिलाल पिता रामचन्द्र तेली, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. रमेश पिता भगवाना पुर्बिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 18.06.2019 को वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि मौजा रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 250 की आराजी नं. 731, 732 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9000 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे के आधार पर किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/बी/19/06, दिनांक 08.07.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः–

1– रमेश पिता भगवाना पूर्बिया, सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
732	0.4600	19.32

2– श्री शान्तिलाल पिता रामचन्द्र तेली, आयु वयस्क, सा. देह के रहेगीः–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
731	0.4400	18.48

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:13:51 IST
Reason: SelfAttested